न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 08/2024	तारीख रजू 02.04.2024	निर्णय दिनांक 09.04.2024

सरकार बनाम रजाक

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि रजाक पुत्र सुभराती जाति गद्दी निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 20 में कुल रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से टीन चढाकर व बाडाबनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है तथा यदि भूलवश कोई कब्जा हो गया है तो प्रार्थी को सीमाज्ञान कर बता दिया जावें ताकि प्रार्थी कब्जा हटा लेगा। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा वर्णित भूमि पर अवैध अतिचार नही करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा भूमि ख0नं0 20 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 पाल में अवैध रूप से टीन चढाकर व बाडाबनाकर कब्जा कर रखा है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा गै0मु0 पाल की भूमि जो कि सरकारी भूमि है, पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। पटवारी हल्का द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है परन्तु गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.84/– की 50 गुना शास्ति 42/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर'घ' के पेज संख्या ....
पर रुपये 42/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार